तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 04/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
22.9.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) अंकित गहलोत पुत्र किशोर गहलोत, जाति– घांची, निवासी– करण नगर, गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मां कृपा सुपर मार्केट, राजकीय अस्पताल के पास, शिवगंज, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) नरसाराम पुत्र श्री लुम्बाराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, हनुमान मन्दिर के पास, कोलीवाडा रोड, सुमेरपुर, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 (तीन) प्रवीण कुमार बन्दी पुत्र श्री सज्जन लाल, निवासी– बन्दी भवन, बडी होली, गिर्वा, उदयपुर, जिला– उदयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मंगलम मार्केटिंग, 210 बी ब्लॉक, सबसिटी सेन्टर, उदयपुर अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2021 को फर्म मां कृपा सुपर मार्केट, राजकीय अस्पताल के पास, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अंकित गहलोत पुत्र किशोर गहलोत, जाति– घांची, निवासी– करण नगर, गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसन्त ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1350 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./39/Act/2020/137 दिनांक 18.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः अंकित गहलोत व नरसाराम की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी प्रवीण कुमार बन्दी को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 23.2.2022 को उपस्थित होकर जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये। उसके बाद प्रतिवादी प्रवीण कुमार बन्दी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में दिनांक 14.9.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी अंकित गहलोत के सामने निष्पादित नही की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी अंकित गहलोत के संस्थान पर निष्पादित की गई। नमूने को अलग अलग कंटेनरों में लेकर सील [illegible] की कोई कार्यवाही प्रतिवादी के समक्ष नही की गई है। प्रतिवादी को [illegible] द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच [illegible] संबंध में [illegible] प्रकार की कोई जानकारी नही .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही--307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 04/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

दी एवं न ही प्रतिवादी ने ऐसी जांच कराने से मना किया। आवेदक द्वारा प्रतिवादी के समक्ष नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नही की है, जिससे प्रतिवादी नमूने की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के खरीद का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अनुसंधान के दौरान प्रस्तुत कर दिया था। यह कि प्रतिवादी ने खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) को मूल कम्पनी पैक अवस्था में क्रय किया था। लेबल पर हुई त्रुटि के लिये प्रतिवादी जिम्मेदार नही है, बल्कि निर्माता फर्म जिम्मेदार है। प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) का निर्माण नही किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निर्माता फर्म को जानबूझकर इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है, जबकि खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) का उत्पाद निर्माता फर्म द्वारा किया गया है ऐसी स्थिति में निर्माता फर्म इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म को पक्षकार नही बनाने के कारण यह न्याय निर्णयन आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.1..2021 को समय 4.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मां कृपा सुपर मार्केट, राजकीय अस्पताल के पास, शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से अंकित गहलोत पुत्र किशोर गहलोत, जाति– घांची, निवासी– करण नगर, गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी अंकित गहलोत को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के 6 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) में से हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक [illegible] राशि रुपये 316/– (अक्षरे रुपये तीन सौ सोलह मात्र[illegible] अंकित गहलोत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल [illegible] अधिकारी ने लेबल तैयार कर [illegible] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी [illegible] क्रमांक S-1350, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत [illegible]ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 04/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पाउचेज को अलग अलग गत्ते के डिब्बों में रखकर ढक्कन से से बन्द कर टेप से चिपकाया। चारों नमूना पेकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1350 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.1.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 06.1.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मां कृपा सुपर मार्केट, राजकीय अस्पताल के पास, शिवगंज, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अंकित गहलोत से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1350 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./39/Act/2020/137 दिनांक 18.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी अंकित गहलोत पुत्र किशोर गहलोत, जाति– घांची, निवासी– करण नगर गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही की फर्म मां कृपा सुपर मार्केट, शिवगंज द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के पैक्ड पाउचेज प्रत्येक 500–500 ग्राम को जरिये बिल फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी नरसाराम की फर्म है। प्रतिवादी नरसाराम की फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ ......लगातार	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 04/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के पैक्ड पाउचेज को जरिये बिल फर्म मंगल मार्केटिंग, उदयपुर से क्रय किया गया, जो प्रतिवादी प्रवीण कुमार बन्दी की फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (वसंत ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अंकित गहलोत पुत्र किशोर गहलोत, जाति– घांची, निवासी– करण नगर, गली नं. 6, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मां कृपा सुपर मार्केट, राजकीय अस्पताल के पास, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी नरसाराम पुत्र श्री लुम्बाराम, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, हनुमान मन्दिर के पास, कोलीवाडा रोड, सुमेरपुर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की तथा प्रतिवादी प्रवीण कुमार बन्दी पुत्र श्री सज्जन लाल, निवासी– बन्दी भवन, बडी होली, गिर्वा, उदयपुर, जिला– उदयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म मंगलम मार्केटिंग, 210 बी ब्लॉक, सबसिटी सेन्टर, उदयपुर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.11.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड) न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested